

14-01-2021

पत्रावली वादीगण मय वकील वादीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के आधार पर आज तलब की गई। वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र वास्ते विद्रो करने वाद का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य गांव के मौजिज व्यक्तियों ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा करवा दिया है तथा उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः वाद जरिये विद्रो खारिज फरमाया जावे।

न्यायहित में वादीगण मय वकील का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है चूंकि पक्षकारों में राजीनामा हो चुका है एवं वादीगण वाद को आगे नहीं चलाना चाहते है अतः न्यायहित में वाद में आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर वाद जरिये विद्रो खारीज किया जाता है। पत्रावली पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

14/01/2021
सहायक कलेक्टर
फाइल नं. 15

